मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1
संख्या-[illegible]/सी0एम0-1/2013
लखनऊ : दिनांक 01 ~~अगस्त~~ अक्टूबर, 2013

कार्यालय – ज्ञाप

मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भों के निस्तारण के संबंध में विभिन्न विभागों से आख्याएँ प्राप्त हो रही हैं। उक्त आख्याओं में प्रायः यह देखा जा रहा है कि लम्बित संदर्भों की विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान विभागों द्वारा एक सूची बनाकर प्रेषित की जा रही है जिसमें प्रकरण के सम्मुख मात्र "निस्तारित" अंकित कर मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रकरणों के निस्तारण की अपेक्षा की जा रही है। पूर्व में यह स्पष्ट रूप से प्रसारित किया गया है कि संदर्भों में मा0 संस्तुतिकर्ता महानुभावों को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय तथा उसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय जिसके उपरान्त ही संदर्भ विलोपन हेतु विचार किया जायेगा।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री कार्यालय के संदर्भों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा प्रत्येक प्रकरण में कृत कार्यवाही से मा0 संस्तुतिकर्ता महानुभावों को अवगत कराते हुए संदर्भ विलोपन हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित आख्या में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संदर्भों में निम्नलिखित विवरण के अनुसार सूचीबद्ध आख्या उपलब्ध करायी जा सकती है :–

क0 सं0	संदर्भ सं0	संदर्भ का मूल प्रेषक	विषय	कृत कार्यवाही का विवरण	पुष्टि हेतु सहायक अभिलेख	संलग्नक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रारूप पर मुख्यमंत्री संदर्भों की आख्या प्राप्त होने पर ही लम्बित संदर्भों के निस्तारण पर विचार किया जायेगा। कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(राकेश गर्ग)
प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त सचिव / प्रमुख सचिव,उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,उ0प्र0 सरकार।

3. समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 सरकार।
4. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज।
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक उ0प्र0।
7. समस्त, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण।
8. समस्त मुख्य नगर अधिकारी।
9. समस्त अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक (सार्वजनिक उपक्रम)
10. कुल सचिव (उच्च शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा)
11. निजी सचिव,सचिव,मुख्यमंत्री।
12. निजी सचिव,परामर्शी,मुख्यमंत्री।
13. निजी सचिव,विशेष सचिव,मुख्यमंत्री।
14. निजी सचिव,विशेषकार्याधिकारी,मुख्यमंत्री।
15. विशेषकार्याधिकारी,कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित है कि कार्यालय ज्ञाप को ई–मेल द्वारा सर्वसंबंधित को भेजना सुनिश्चित कराते हुए वेब साईट में भी डलवाने का कष्ट करें।
16. मुख्यमंत्री सचिव शाखा के समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग।

आज्ञा से,

(राम सिंहासन सेन)
उप सचिव,मुख्यमंत्री।